न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 124/2020

GCMS : 2020/00202

–:: प्रार्थी ::–

1. खीमसिंह पुत्र हरीसिंह
2. सुमेरसिंह पुत्र हरीसिंह
3. हीरसिंह पुत्र बागसिंह

जातियान– पुरोहित, निवासीगण– तालकिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. अर्जुनसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति– राजपुरोहित निवासी– तालकिया, तहसील– जैतारण, राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः 06/10/2020

उपस्थितः 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 23/11/2020

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा तालकिया पटवार हल्का पिपलिया खूर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायलान् एवं अन्य खातेदारान् की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 22–08 बीधा किस्म चाही प्रथम आई हुई है। जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से माफिक सायलान मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 व नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। उक्त कृषि भूमि गांव तालकिया के आवादी के पास स्थित है व कीमती है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार सायलान् है व सायलान् का कब्जा है उक्त भूमि मे गैरसायल का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है न ही खातेदार काश्तकार है। गैरसायल राजनैतिक पहुंच व लाठी के बल पर बिना किसी हक अधिकार के सायलान् के हक हिस्से की भूमि मे मकान निर्माण कर रहा है तथा उसके पास अतिकमण कर बाडा भी बना लिया है। सायलान् को जानकारी होने पर गैरसायल द्वारा अतिक्रमण कर मकान/बाड़ा बनाने से दिनांक 25/08/2020 को गैरसायल को मना किया परन्तु गैरसायल नहीं माने व दिन प्रतिदिन मजदूर लगाकर उक्त खसरा नम्बर की भूमि मे मकान निर्माण का काम चालू है इसलिए गैरसायल द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्य को रोकने बाबत् सायलान् के पास एक मात्र विकल्प न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई नही होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायल के सादर पेश है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 107 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा मे गैरसायल द्वारा जो मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कृषि भूमि [illegible] कार्य कर भूमि का स्वरूप बदल रहा है तथा गैरसायल बिना [illegible] अधिकारी के अनुमति के बिना निर्माण कर रहा है यदि गैरसायल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 13:08:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी

कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करता है व बाडा बनाकर अतिक्रमण करता है तो सायलान् के हक अधिकार प्रभावित होगेन सायलान् को असीम हानि होगी जिसका मूल्याकंन रूपयो मे भी नही किया जा सकेगा। सायलान् गैरसावल द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्यो का मौके पर विरोध करेगा तो लडाई झगडा टन्टा फसाद होगे एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी पेचीदगिया बढेगी। इसलिए गैरसायल द्वारा किये जा रहे निर्माण को रोका जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सायलान की और से विरूद्ध गैरसायल के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। मौके पर किये जा रहे मकान निर्माण के फोटोग्राफस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। गैरसायलद्वारा सायलान के हक हिस्से की भूमि में जो मकान निर्माण किया जिसे गैरसायल के खर्चे से तुडवाया जाकर पूर्ववर्ती स्थिति कायम की जावे। राजस्व रेकर्ड की जमावन्दी से सायल के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया मामला है सायल अपने हक हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायलान् के पक्ष है यदि गैरसायल द्वारा बिना किसी हक अधिकार के सायलान् की भूमि मे कृषि भूमि मे अकृषि कार्य कर कृषि भूमि का स्वरूप बदल रहे है व बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना मकान निर्माण कर रहे है व पास मे बाडा बनाकर उसके चारो और दीवार या नया निर्माण शुरू कर देता है तो सायलानृ के हक अधिकार प्रभावित होगे व सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्याकंन रूपयो मे नही आंका जा सकेगा। इसलिए गैरसायल द्वारा सायलान् के हक हिस्से की भूमि मे मकान निर्माण के कार्य को रोका जाना आवश्यक है इसलिए न्यायहित मे सायलान् के पक्ष मे विरूद्ध गैरसायल के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र जमावन्दी नक्शा ट्रेस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित खसरा संख्या 107 रकवा 22-08 बीघा किस्म चाही प्रथम मे सायलान् की खातेदारी की भूमि मे गैरसायल द्वारा मकान निर्माण कार्य कर रहा है उसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे व सायलान् की भूमि मे वाडा के चारो और चार दीवारी का निर्माण नही किया जावे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे। मौके की स्थिति को यथावत् रखने हेतू गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित कर पाबन्द किया जावे। प्रार्थनापत्र की से अन्य कोई सहायता हो सायल प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलायी जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाब प्रार्थना तलब किया गया। सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब गैरसायल अर्जुन सिंह की ओर से निम्नानुसार है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर 107 की भूमि मौजा तालकिया तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में स्थित होने के कथन सही होने से स्वीकार है, साथ ही उक्त भूमि संयुक्त व सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने के तथ्य कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है बल्कि उक्त भूमि मौके पर वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई होकर पक्षकार खातेदारो के अलग अलग ही कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व उक्त भूमि अगजी पुत्र नगसिंह जी जाति राजपुरोहित निवासी तालकिया वाले की थी। तत्पश्चात [illegible] नगजी के वारिसान उमसिंह व हदाजी इस भूमि पर काबिज हुये थें तत्पश्चात [illegible] भाईयो के वारिसान इस खसरा नम्बर 107 की भूमि पर काबिज है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 13:08:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नंबर 107 की भूमि तालकिया गांव के आबादी से चिपते हुये आई हुई होने से मौकके पर लगभग 15 बीघा भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसी हुई होकर उमसिंह जी के वारिसान एवं हदाजी के वारिसान के मकानात मौके पर बने हुये है। इस प्रकार से सायलान एवं गैरसायल की वंशावली इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रविष्टि 01 बनाकर साथ पेश की जा रही है जिसका जवाब प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। इस प्रकार से उक्त खसरा नम्बर 107 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्ठियो के अनुसार मौके पर हक अधिकार नही होकर इस जवाब के साथ प्रस्तुत वंशावली के अनुसार मौके पर कब्जा एवं हक अधिकार होकर सभी हिस्सेदार काबिज है एवं इस खसरा नम्बर 107 के अलावा अपनी अन्य भूमियो के विकास के प्रयोजनार्थ रहवासी मकान बनाकर के रह रहे है। इस प्रकार से सायलान ने वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुये झूठे व कपोल कल्पित तथ्यो एवं मौका स्थिति का उल्लेख करते हुये यह निराधार वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र की कार्यवाही की है। जो काबिल खारिज के हैं, कि पूर्व में इसी भूमि के बावत कुन्दन सिह पुत्र भोपाल सिंह ने मूल वाद संख्या 93/2007 पेश किया था। जो वाद विचारण के दिनांक 29.01.2009 को खारिज हो चुका है जिसकी आदेशिका की प्रति इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से धारा 11 सीपीसी के प्रावधानो अनुसार पूर्ववर्ती वाद में पारित निर्णय से भी प्रार्थीगण पाबन्द है, कि सायलान स्वयं के रहवासी मकान मौके पर पिछले लगभग 50 वर्षो से बने होकर इस भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा घरी के सामने पक्की नालीया बनायी होकर पक्के खंरजायुक्त रास्ते भी बनाये हुये है तथा रहवासी घरो में वर्षो पूर्व से विद्युत कनेक्शन लिये हुये है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक रहवासी घर में जल के कनेक्शन भी दिये हुये है। इस प्रकार से उक्त सभी तथ्यो को छोड़ते हुये सायलान ने इस कार्यवाही में झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये अपना झूठा शपथ पत्र पेश किया है। जो काबिल खारिज के है। इस प्रकार से उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन सही होने से अस्वीकार है। साथ ही इस भूमि पर सायलान स्वयं ने रहवासी मकान बनाये हुये है तथा जवाब देहन्दा के भी मकान अपने पूर्वजो के समय से यानि सेटलमेन्ट से पूर्व से ही इस भूमि पर बने हुये है तथा इस भूमि का गैरसायल स्वयं मालिक व भौक्ता के रूप में करता रहा है। उसके बावजूद भी सायलान ने झूठे तथ्यो का समावेश कर अदालत श्रीमान के समक्ष यह कार्यवाही पेश की है, जो काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायलान ने अपने इस कार्यवाही में कोई हक हिस्सा होना उल्लेखित नही किया न ही कितना हिस्सा है इस बाबत कोई उल्लेख किया है। बल्कि उक्त भूमि मौके पर वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई होकर पक्षकार खातेदारो के अलग अलग ही कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व उक्त भूमि अगजी पुत्र नगसिंह जी जाति राजपुरोहित निवासी तालकिया वाले की थी। तत्पश्चात उनके देहान्त होने पर नगजी के वारिसान उमसिंह व हदाजी इस भूमि पर काबिज हुये थें तत्पश्चात उक्त दोनो भाईयो के वारिसान इस खसरा नम्बर 107 की भूमि पर काबिज है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर 107 की भूमि तालकिया गांव के आबादी से चिपते हुये आई हुई होने से [illegible] 5 बीघा भूमि पर आवासीय का०लोनी बसी हुई होकर उमसिंह जी के वारिसान [illegible] के वारिसान के मकानात मौके पर बने हुये है। इस प्रकार से [illegible] वंशावली इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 13:08:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
(पाली)

ाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रविष्टि 01 बनाकर साथ पेश की जा रही है जिसको जवाब र्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। इस प्रकार से उक्त खसरा नम्बर 107 ी भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्ठियों के अनुसार मौके पर हक अधिकार नही होकर इस जवाब के साथ प्रस्तुत वंशावली के अनुसार मौके पर कब्जा एवं हक अधिकार होकर सभी हिस्सेदार काबिज है एवं इस खसरा नम्बर 107 के अलावा अपनी अन्य भूमियो के विकास के प्रयोजनार्थ रहवासी मकान बनाकर के रह रहे है। इस प्रकार से सायलान ने वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुये झूठे व कपोल कल्पित तथ्यो एवं मौका स्थिति का उल्लेख करते हुये यह निराधार वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र की कार्यवाही की है। जो काबिल खारिज के हैं। इस पद में सायलान ने जवाब देहन्दा के विरुद्ध कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने व मकान नव निर्माण करवाने के आरोप भी कतई गलत लगाये है। जवाब देहन्दा का मकान वर्षो पूर्व से यानि अपने पूर्वजो के समय से मौके पर भू-तल पर बना हुआ है तथा उसकी प्रथम मंजिल के रूप में मकान बनाये जा चुका है। उसके बावजूद भी सायलान ने कार्यवाही करने की मंशा से दिनांक 25.08.2020 से नवनिर्माण करवाने बाबत झूठे आरोप लगाते हुये यह निराधार कार्यवाही पेश की है तथा इस पद में झूठे तथ्य लिखे है जो गलत होने से अस्वीकार है। सायलान ने उमसिंह जी व हदाजी के सभी वारिसान को जानबूझकर के वाद पक्षकार नही बनाया गया है तथा उनके हक हिस्से बाबत भी कोई खुलासा नही किया गया है। निराधारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कतई गलत है इस प्रकार सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काविल खारिज के होने से खारिज किया जावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे बेबुनियाद होने से अस्वीकार है, बल्कि उक्त भूमि मौके पर वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई होकर पक्षकार खातेदारो के अलग अलग ही कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व उक्त भूमि अगजी पुत्र नगसिंह जी जाति राजपुरोहित निवासी तालकिया वाले की थी। तत्पश्चात उनके देहान्त होने पर नगजी के वारिसान उमसिंह व हृदाजी इस भूमि पर काबिज हुये थें तत्पश्चात उक्त दोनो भाईयो के वारिसान इस खसरा नम्बर 107 की भूमि पर काबिज है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर 107 की भूमि तालकिया गांव के आबादी से चिपते हुये आई हुई होने से मौकके पर लगभग 15 बीघा भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसी हुई होकर उमसिंह जी के वारिसान एवं हदाजी के वारिसान के मकानात मौके पर बने हुये है। जिनके फोटोग्राफ इस जवाब के साथ पेश किये जा रहे है जिससे साबित है कि उक्त भूमि पर पूर्व में ही रहवासी बस्ती बसी हुई है तथा अकेले जवाब देहन्दा द्वारा ही कृषि भूमि का स्वरूप नही बदला जा रहा है । इस प्रकार से सायलान एवं गैरसायल की वंशावली इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रविष्टि 01 बनाकर साथ पेश की जा रही है जिसको जवाव प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। इस प्रकार से उक्त खसरा नम्बर 107 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्ठियो के अनुसार मौके पर हक अधिकार नही होकर इस जवाब के साथ प्रस्तुत वंशावली के अनुसार मौके पर कब्जा एवं हक अधिकार होकर सभी हिस्सेदार काबिज है एवं इस खसरा नम्वर 107 के अलावा अपनी अन्य भूमियों के विकास के प्रयोजनार्थ रहवासी मकान बनाकर के रह रहे है। मौके पर लगभग सायलान 25 परिवारो के मकानात बने हुये है। इस प्रकार से सायलान में वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये। कपोल कल्पित तथ्यो एवं मौका स्थिति का उल्लेख करते हुये यह निराधार वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र की कार्यवाही की है जो काबिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 13:08:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

रिज के हैं। इस पद में जवाब देहन्दा के विरुद्ध कब्जे काश्त में दखनन्दाजी करने व मकान नव निर्माण करवाने के आरोप भी कतई गलत लगाये है। जवाब देहन्दा का मकान वर्षो पूर्व से यानि अपने पूर्वजो के समय से मौके पर भू–तल पर बना हुआ है तथा उसकी प्रथम मंजिल के रूप में मकान बनाये जा चुका है। उसके बावजूद भी सायलान ने कार्यवाही करने की मंशा रो पक्षकारों के बीच विवाद होने अपने आप को असीम क्षति होने एवं वादबहुल्यता होने से सम्बन्धित झूले तथ्यो का समावेश किया है तथा इस पद में झूले तथ्य लिखे है जो गलत होने से अस्वीकार है। सायलान ने उमसिंह जी व हदाजी के सभी वारिसान को जानबूझकर वाद पक्षकार नही बनाया गया है तथा उनके हक हिस्से बाबत भी कोई खुलासा नही किया गया है। निराधारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कतई गलत है इस प्रकार से सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। समस्त तथ्यो परिस्थितियों व मौका स्थिति एवं दरतावेजात व पक्षकारों के वंश वृक्षावली तथा उसके आधार पर प्राप्त हक हिरसो एवं अधिकारी से सम्बन्धित तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुये सायलान की और से प्रस्तुत काविल खारिज के है। जिससे सम्बन्धित जानकारी इस प्रार्थना पत्र जवाब के पद संख्या 01 में दी जा चुकी है। इस प्रकार से उक्त खसरा नम्बर 107 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियो के अनुसार मौके पर हक अधिकार नही होकर इस जवाब के साथ प्रस्तुत वंशावली के अनुसार मौके पर कब्जा एवं हक अधिकार होकर सभी हिस्सेदार काबिज है एवं इस खसरा नम्बर 107 के अलावा अपनी अन्य भूमियो के विकास के प्रयोजनार्थ रहवासी मकान बनाकर रह रहे है। मौके पर लगभग 25 परिवारों के मकान बने हुये है। इस प्रकार से सायलान ने वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुये झूठे व कपोल कल्पित तथ्यो एवं मौका स्थिति का उल्लेख करते हुये यह निराधार वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र की कार्यवाही की है। जो काबिल खारिज के हैं। इस पद में सायलान ने जवाब देहन्दा के विरुद्ध कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने व मकान नव निर्माण करवाने के आरोप भी कतई गलत लगाये है। जवाब देहन्दा का मकान वर्षो पूर्व से यानि अपने पूर्वजो के समय से मौके पर भू – तल पर बना हुआ है तथा उसकी प्रथम मंजिल के रूप में मकान बनाये जा चुका है। उसके बावजूद भी सायलान ने कार्यवाही करने की मंशा से पक्षकारो के बीच विवाद होने अपने आप को असीम क्षति होने एवं वादबहुल्यता होने सम्बन्धित झूठे तथ्यो का समावेश किया है तथा इस पद में झूठे तथ्य लिखे है जो गलत होने से अस्वीकार है। इस प्रकार से सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी एवं उस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनें पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टाँत प्रस्तुत किएः–

1. DNJ 1995 P. 699
2. DNJ 2009(1) P. 411
3. RRD 2010 P. 775
4. RBJ 2002 P. 389
5. RBJ 2006 P. 21 .

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 13:08:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

6. RBJ 2004 P. 475
7. RBJ 2005 P. 87

हमनें उपर्युक्त न्याय निर्णयों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया एवं प्रकरण के समुचित निर्णयन हेतू मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का सम्यक् अध्ययन एवं अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों के आलोक में प्रकरण का बिंदूवार विवेचन निम्नानुसार हैः-

(1) प्रथम दृष्ट्यां मामला :- प्रार्थी के वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दर्ज करवाते हुए दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2074-2077 ग्राम- तालकिया, खसरा संख्या 107 रकबा 22-08 बीघा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित-शामलाती भूमि है। वादीगण जो कि संख्या में 3 है द्वारा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी सहखातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। जबकि अविभाजित आराजी की दशा में सभी सहखातेदारान समान रूप से आवश्यक एवं उचित पक्षकार होतते हैं। प्रार्थी द्वारा यह भ अंकित नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी में उसका हिस्सा कितना हैं एवं कब्जा-काश्त कहाँ है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त संबंधी खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थी का कथन कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 25.08.2020 को वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण कर बाड़ा व मकान निर्माण करनें लग गया, जबकि अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र में इस तथ्य का खण्डन करते हुए यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका पिछले 50 वर्षो से मकान बना हुआ है, मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहित अनके लोगों के रहवासीय मकानात् बने हुए हैं तथा घरों के सामनें पक्की नालीयां एवं खरंजा युक्त रास्ता भी बना हुआ हैं, जिसके फोटोग्राफ भी संलग्न किए गए है, जिसका प्रार्थी द्वारा खण्डन भी नहीं किया गया है। फोटोग्राफ के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मौके पर पुराने रहवासीय मकान, सड़क व पक्की नालीयां बनी हुई हैं, अर्थात मौके पर निर्माण कार्य पुराना है। यह अलग बात है कि मौके पर स्थित रहवासीय मकान व अन्य संरचनाओं का कब्जा विधिसम्मत् है या नहीं यह साक्ष्य एवं गुणावगुण का विषय है, परंतु इतना स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी द्वारा बेदखली हेतू अनुतोष ही नहीं चाहा गया है। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के कितने भाग पर और किस जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित संयुक्त खातेदारी की है। अतः प्रार्थीगण के पास यह भी विकल्प था कि वह कानूनन अपना हिस्सा पृथक करनें के लिए विभाजन का दावा करता परंतु ऐसा नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा यह भी प्रार्थना की है कि उसका मकान 40-50 वर्ष पुराना है तथा जमाबंदी में कुछ वारिसान के नाम भी दर्ज नहीं है तथा उसकी वंशावली के खातेदारान को कोई आपत्ती भी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त समग्र विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है तथा प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थि नहीं हुए हैं।

(2) सुविधा का संतुलन :- चूंकि प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थी [illegible] हुआ है। सुविधा का संतुलन का भी प्रत्यक्ष संबंध में वादग्रस्त भाग से वर्त[illegible] में [illegible] पक्ष लाभान्वित पक्ष से है। पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि मौके पर 40-50 [illegible] से रहवासीय मकान, मार्ग व नालियां बनी हुई है तथा प्रति वादी [illegible] भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.12.03 13:08:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] (पाली)

तथ्य की संपुष्टि होती है कि वर्तमान में सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में है, अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

3) *अपूर्णनीय **क्षति** :–* चूंकि सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है, साथ ही प्रार्थी द्वारा इस बिंदू को साबित करनें के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। प्रार्थी यह साबित करनें में असफल रहा है कि हस्तगत प्रकरण में उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूर्णनीय क्षति होनें की आशंका है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर मूल प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी जोकि अविभाजित संयुक्त सहखातेदारी भूमि है, के सभी खातेदारान् को पक्षकार संयोजित नहीं करनें, प्रार्थीगण का हिस्सा पृथक नहीं होनें एवं प्रार्थीगण द्वारा ऐसा अनुतोष नहीं चाहनें, मौके पर अप्रार्थी सहित अन्य लोगों के पुराने रहवासीय मकानात्, रास्ता एवं पक्की नालियाँ होनें एवं प्रार्थीगण द्वारा बेदखली की माँग न किए जानें एवं प्रथम दृष्ट्यां मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति का बिंदू प्रार्थी द्वारा साबित किए जानें में असफल रहनें से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित नहीं होता है, अतः इसे अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। प्रकरण इसी निमित निर्णित होकर, पत्रावली संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 23/11/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 13:08:42 IST
Reason: SelfAttested